कार्यवाही विवरण एम्पावर्ड स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक दिनांक 07.12.2017

प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 07.12.2017 को एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी की बैठक में मैसर्स सुरेश कुमार जैन, झालावाड़ द्वारा अनुबंध संख्या 11 वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत संवेदक फर्म को आवंटित कार्य "Construction of anicut on Andheri river near village Kohni, Tehsil- Chhipabarod, District- Baran" के क्लॉज 23 के तहत प्रस्तुत क्लेम्स पर सुनवाई कर निर्णय लिये जाने हेतु बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निम्न अधिकारियों ने भाग लिया:–

1. श्री लोकेश तिवाड़ी, संयुक्त विधि परामर्शी, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री मेवा राम जाट, संयुक्त शासन सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री एम. आर. डूडी, अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान जयपुर।
4. श्री के. डी. सान्दू, मुख्य अभियन्ता जल संसाधन सम्भाग, कोटा।

विभाग की ओर से अधिशाषी अभियन्ता, जल ससांधन खण्ड द्वितीय, छबड़ा (बारां) एवं संवेदक की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री कमल माहेश्वरी उपस्थित हुए।

कार्य एवं विवाद का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

निर्माण कार्य Construction of anicut on Andheri river near village Kohni, Tehsil- Chhipabarod, District- Baran आदेश संख्या 4147 दिनांक 24.09.2013 द्वारा राशि रूपये 1,93,35,216/– का मैसर्स सुरेश कुमार जैन को आंवटित कर, कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण करने की दिनांक क्रमशः 04.10.2013 एवं 03.10.2014 वर्षा ऋतु सहित निर्धारित की गई थी। दिनांक 24.09.2013 को अनुबंध सम्पादित करने के पश्चात संवेदक कार्य प्रारम्भ करने हेतु मौके पर उपस्थित नहीं हुआ और न ही इस संबंध में खण्डीय कार्यालय में सम्पर्क किया। अधिशाषी अभियन्ता द्वारा समय समय पर कार्य को प्रारम्भ करने हेतु नोटिस जारी किये गये परन्तु संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। जिसके फलस्वरूप मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन कोटा के आदेश क्रमांक 7511 दिनांक 18.04.2016 द्वारा संविदा की धारा 2 के अन्तर्गत 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि रूपये 19,33,522/– आरोपित करते हुए संविदा की धारा 3 सी के तहत् संवेदक के हर्जे खर्चे पर शेष कार्य सम्पादन करने हेतु आदेश जारी किया गया।

संवेदक द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, जल ससांधन खण्ड द्वितीय, छबड़ा (बारां) द्वारा की गई उक्त कार्यवाही को विवादित करते हुए अनुबंध के क्लाज 23 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में क्लेम कमेटी के समक्ष निस्तारण हेतु प्रस्तुत किये है।

कमेटी ने अधिशाषी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं अभिलेखों का अवलोकन किया तथा दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों को सुना जा कर क्लेम वाईज निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया :–

1. Quashing of the order no. CE/WR/AC-1/2015/7511-12 dated 18.04.2016 of the Chief Engineer, Water Resources Zone, Kota and provide relief from the action of clause-2 & 3 (c) of the agreement.

संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत किया कि कार्यस्थल पर पानी भरा होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। इस संबंध में संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को बार–बार लिखित निवेदन किया गया परन्तु हमकों कार्य हेतु ले–आउट नहीं दिया गया। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है अतः हमारे विरूद्ध की गई कार्यवाही को समाप्त की जावें।

अधिशाषी अभियन्ता ने कमेटी को अवगत किया कि संवेदक को लगातार स्मरण कराने के पश्चात भी संवेदक या उसका प्रतिनिधि कार्य प्रारम्भ करने हेतु उपस्थित नहीं हुए। मात्र विभाग से पत्राचार ही करते रहे। संवेदक ने अपनी कमी को छुपाने के लिये अपने पत्रों से निर्माणस्थल का चयन गलत बताया और बताया कि अंधेरी बांध का सीपेज आने से कार्यस्थल पर लगातार पानी रहता है जबकि यह सत्य नहीं है। न तो आज दिनांक तक अंधेरी बांध निर्मित है और ना ही अंधेरी नदी में वर्ष पर्यन्त पानी बहता है। वस्तुतः संवेदक ने कार्य प्रारम्भ करने के कोई प्रयास नहीं किये। जबकि विभाग द्वारा कार्यहित में संवेदक की मदद हेतु सार्वजनिक विभाग से वार्ता एवं पत्राचार के पश्चात पानी की निकासी के लिये डाउनस्ट्रीम में काजवे पर पाईप डालने की कार्यवाही के लिए संवेदक को कहा गया परन्तु संवेदक ने इसमें भी कोई रूचि नहीं दिखाई। लगातार विभाग द्वारा कार्य करने हेतु मौका देने के पश्चात भी कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर संवेदक के विरूद्ध अनुबंध की धारा 2 व 3 के तहत कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को निवेदन किया गया। जिस पर मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, कोटा के कार्यालय पत्रांक CE/WR/AC-1/2015/7511-12 दिनांक 18.04.2016 द्वारा अनुबंध की धारा 2 के तहत अनुबंध राशि रूपये 1,93,35,216/– की 10 प्रतिशत राशि रूपये 19,33,522/– की क्षतिपूर्ति आरोपित की गई तथा अनुबंध की धारा 3 के तहत संवेदक की लागत एवं जोखिम पर अन्य संवेदक से कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। अतः संवेदक द्वारा प्रस्तुत क्लेम स्वीकार योग्य नही है।

प्रस्तुत तथ्यों एवं अभिलेखो के आधार पर यह क्लेम आधारहीन पाया गया अतः कमेटी द्वारा इस क्लेम को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. To award release of forfeited amount Rs. 1,28,000/- of E.M.

संवेदक ने कमेटी को अवगत कराया कि मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, कोटा ने 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि रूपये 19,33,522/– आरोपित की है जिसके विरूद्ध अधिशाषी अभियन्ता ने जमा अर्नेस्ट मनी 1,28,000/– जब्त कर ली। चूंकि अनुबंध को समाप्त करने की कार्यवाही गलत है इसलिए जब्त राशि मय ब्याज लौटायी जावे।

अधिशाषी अभियन्ता ने कमेटी को बताया कि संवेदक के कार्य नहीं करने के कारण संवेदक पर अनुबंध की धारा 2 एवं 3 के तहत सही कार्यवाही की गई है। धारा 2 के तहत अनुबंध राशि रूपये 1,93,35,216/– की 10 प्रतिशत राशि रूपये 19,33,522/– की क्षतिपूर्ति संवेदक से वसूलनीय है जिसके विरूद्ध संवेदक की जमा अर्नेस्ट मनी राशि रूपये 1,28,000/– मात्र वसूल की गई है अन्तर राशि 18,05,522/– वसूली की जानी है।

3. Difference amount Rs. 418449/- of work order amount Rs. 19335216/- of claimant and work of Rs. 19753665/-, only is recoverable as per order of Chief Engineer. WR Zone. Kota. Because the action taken by the respondent is prejudiced and arbitral action the order no. CE/WR/AC-1/2015/7511-12 dated 18.04.2016 is liable to the cost.

संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत किया कि मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, कोटा के आदेशानुसार उसे आवंटित कार्यादेश राशि रूपये 1,93,35,216/– और अन्य संवेदक को बाद में आवंटित कार्यादेश राशि रूपये 1,97,53,665/– की अन्तर राशि रूपये 4,18,449/– ही वसूलनीय है।

अधिशाषी अभियन्ता ने कमेटी को बताया कि संवेदक के कार्य नहीं करने के कारण संवेदक पर अनुबंध की धारा 2 के अतिरिक्त, धारा 3 की कार्यवाही में संवेदक को आवंटित कार्य राशि और यह कार्य बाद में अन्य संवेदक से कराये जाने पर कुल व्यय होने वाली राशि की अन्तर राशि मूल संवेदक से ही वसूल की जानी है। वर्तमान में यह राशि दोनों कार्यादेशों के अनुसार रूपये 4,18,449/– है।

अतः अनुबंध की धारा 2 के अन्तर्गत 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि 19,33,522/– एवं धारा 3 के तहत अन्तर राशि रूपये 4,18,449/– कुल राशि 23,51,971/– में से वसूल की गई राशि रूपये 1,28,000/– कम करने के बाद शेष राशि रूपये 22,23,971/– और संवेदक से वसूल की जानी शेष है जो अनुबंध के प्रावधान अनुसार एवं उचित है।

प्रस्तुत तथ्यों एवं अभिलेखों के आधार पर यह क्लेम आधारहीन पाया गया अतः कमेटी द्वारा क्लेम्स को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्तुत तथ्यों एवं अभिलेखों के आधार पर समस्त क्लेम आधारहीन पाये गये अतः कमेटी द्वारा इन क्लेम्स को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

(के.डी. सान्दू) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, कोटा	(एम. आर. डूडी) अति. सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन राज, जयपुर	(लोकेश तिवाड़ी) संयुक्त विधि परामर्शी, प्रतिनिधि. विधि विभाग	(मेवा राम जाट) संयुक्त शासन सचिव, प्रतिनिधि वित्त विभाग	(शिखर अग्रवाल) प्रमुख शासन सचिव जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर।